<u>न्यायालयः— न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, चन्देरी जिला—अशोकनगर</u> (पीठासीन अधिकारी:—जफर इकबाल)

<u>फाइलिंग नंबर 235103000032016</u> <u>दांडिक प्रकरण क.—173 / 16</u> संस्थापित दिनांक—10.06.16

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा :— आरक्षी केन्द्र चन्देरी जिला अशोकनगर।
अभियोजन
विरुद्ध
01—भरत पुत्र बल्लू उर्फ मोहन रजक, उम्र 20 साल निवासी ग्राम मुरादपुर थाना चंदेरी जिला अशोकनगर।
आरोपी
राज्य द्वारा :— श्री सुदीप शर्मा, ए.डी.पी.ओ.। आरोपी द्वारा :— श्री के एन भार्गव अधिवक्ता।

—: <u>निर्णय</u> :— <u>(आज दिनांक 25.02.2017 को घोषित)</u>

01— आरक्षी केन्द्र चन्देरी, जिला अशोकनगर द्वारा आरोपी के विरूद्ध यह अभियोग पत्र अंतर्गत धारा 25 बी आर्म्स एक्ट के विचारण हेतु प्रस्तुत किया गया।

02— प्रकरण में आरोपी की गिरफ्तारी व पहचान स्वीकृत तथ्य है।

03— अभियोजन की कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि मामले के फरियादी रघुवीर सिंह पाल ने दिनांक 28.05.16 को आरक्षी केंद्र चंदेरी में इस आशय की रिपोर्ट लेखबद्ध की कि घटना दिनांक को दौराने इलाका भ्रमण ग्राम प्राणपुर बस स्टेंड पर मुखविर द्वारा सूचना मिली कि मुरादपुर वाला भरत रजक नंगी छुरी किए कलारी के पास घूम रहा है, कोई वारदाज करने की फिराक में है। सूचना की तस्दीक हेतु मय हमराह एचसी 188 तेजसिंह व साक्षी संजीव श्रीवास्तव व सुरेंद्र सिंह बुंदेला को साथ लेकर कलारी के आगे मुरादपुर की रास्ता पर पहुंचा तो भरत रजक मिला जिसे रोककर चेक किया तो बांई तरफ कमर में एक लोहे की नंगी छुरी खुरचे था। उससे इतनी बडी छुरी लेकर आम जगह में घूमने का लायसेंस चाहा तो न होना बताया जो धारा 25 बी आर्म्स एक्ट की परिधि में आने से रूबरू गवाहन संजीव श्रीवास्तव व सुरेंद्र सिंह बुंदेला के जप्त करके कब्जे पुलिस लिया एवं आरोपी को विधिवत गिरफतार किया। फरियादी की रिपोर्ट के आधार पर आरोपी के विरुद्ध अपराध कमांक 247 / 16 के अंतर्गत धारा 25 (1बी) आयुध अधिनियम के अंतर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की गई एवं विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

04— प्रकरण में आरोपी के विरूद्ध धारा 25(1—बी)(बी) / 27 आयुध अधिनियम के अंतर्गत अपराध रचित कर विचारण प्रारंभ किया गया। प्रकरण में आई साक्ष्य की प्रकृति को देखते हुए आरोपी का धारा 313 द.प्र.सं. के अंतर्गत परीक्षण किया गया तथा आरोपी ने बचाव साक्ष्य देना व्यक्त किया।

05— प्रकरण के निराकरण में निम्न विचारणीय प्रश्न हैं :--

1. क्या आरोपी दिनांक 28.05.16 को समय 18.15 बजे ग्राम प्राणपुर स्थित कलारी की दुकान के पास थाना चंदेरी में एक लोहे की छुरी, जिसकी कुल लंबारई 13 इंच, फन की लंबाई साढे आठ इंच तथा मूठ की लंबाई साढे चार इंच है, को आयुध अधिनियम की धारा 24 (क) के अधीन मध्यप्रदेश राज्य की अधिसूचना 6312—6552—1—बी (1) दिनांक 22. 11.74 के उल्लंघन में बिना अनुज्ञप्ति के अपने आधिपत्य में रखे हुये घूमते हुए पाये गये ?

<u>—:: सकारण निष्कर्ष ::—</u>

06— प्रकरण में अभिलेख पर आई हुई साक्ष्य आपस में संशक्त एवं अंतर्वलित है। अतः ऐसी स्थिति में साक्ष्य की पुनरावृत्ति के दोषनिवारणार्थ विचारणीय प्रश्न क्रमांक 1 का निराकरण किया जा रहा है। अभियोजन ने अपने पक्ष के समर्थन में अ.सा. 01 संजीव श्रीवास्तव, अ.सा. 02 सुरेंद्र सिंह, अ.सा. 03 तेजसिंह, अ.सा. 04 रघुवीर सिंह पाल की मौखिक साक्ष्य अभिलेख पर प्रस्तुत की गई है। आरोपी की ओर से कोई बचाव साक्ष्य अभिलेख पर प्रस्तुत नहीं की गई।

अभियोजन साक्षी 03 तेजसिंह ने अपने कथन में बताया है कि वह दिनांक 28. 05.16 को थाना चंदेरी में प्रधान आरक्षक के पद पर पदस्थ था। उक्त साक्षी के अनुसार वह उक्त दिनांक को एएसआई रघुवीर पाल के साथ इलाकागश्त एवं अपराध विवेचना के लिए निकला था तब विवेचना के दौरान सूचना मिली थी कि आरोपी अवैध रूप से छुरी लिए हुए कलारी के पास घूम रहा है। उक्त साक्षी के अनुसार सूचना के आधार पर वह साक्षी सुरेंद्र एवं संजीव के साथ मुरादपुर तिराहे पर पहुंचा था और चेक करने पर उसके पास छुरी पाई गई थी। उक्त साक्षी के अनुसार एएसआई पाल द्वारा जप्ती एवं गिरफतारी की गई थी। उक्त साक्षी के अनुसार वे लोग दोनों साक्षियों को ले गए थे और वे अपनी मोटरसाईकिल से गए थे। उक्त साक्षी ने इस बात को स्वीकार किया है कि उनके द्वारा मौके पर किसी को भी साक्षी नहीं बनाया गया। अ.सा. 04 रघुवीर सिंह पाल ने भी अपने कथन में बताया है कि ६ ाटना दिनांक को वह प्राणपुर विवेचना हेतु गया था जहां पर मुखविर से सूचना मिली थी कि आरोपी छुरी लिए हुए घूम रहा है और मौके पर पहुंचने पर आरोपी के पास से छुरी मिली थी जिसका लायसेंस उसके पास नहीं था। उक्त साक्षी के अनुसार आरोपी से साक्षीगण के समक्ष प्रपी 01 की जप्ती की गई थी तथा आरोपी को प्रपी 02 के अनुसार गिरफतार किया गया था। उक्त साक्षी के अनुसार थाना वापसी पर आरोपी के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रपी 05 लेखबद्ध की गई थी तथा रोजनाम्चे प्रपी 06 में इंद्राज किया गया था। उक्त साक्षी ने इस बात को स्वीकार किया है कि कोई रवानगी नहीं डाली थी।

08— अ.सा. 01 संजीव श्रीवास्तव ने अपने कथन में बताया है कि उसके द्वारा प्रपी 01 का जप्ती पंचनामा एवं गिरफतारी पंचनामा प्रपी 02 के ए से ए भाग पर हस्ताक्षर किए गए थे। उक्त साक्षी के अनुसार आरोपी से उसके समक्ष कोई वस्तु जप्त नहीं की गई थी। उक्त साक्षी ने इस बात से इंकार किया है कि आरोपी के पास से एक लोहे की छुरी जप्त की गई थी। उक्त साक्षी ने पृलिस कथन भी पृलिस को देने से इंकार किया है। इसी प्रकार अ.सा. 02 सुरेंद्र सिंह ने भी अपने कथन में बताया है कि जप्ती पंचनामा प्रपी 01 एवं गिरफतारी पंचनामा प्रपी 02 के बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। उक्त साक्षी ने भी इस बात से इंकार किया है कि उसके समक्ष आरोपी से लोहे की छुरी जप्त की गई थी। उक्त साक्षी ने इस बात से भी इंकार किया है कि उसने पुलिस कथन पुलिस को दिया था।

प्रकरण में अभियोजन द्वारा जो साक्ष्य अभिलेख पर प्रस्तृत की गई है उसके अवलोकन से प्रकट होता है कि अ.सा. 01 एवं अ.सा. 02 जो कि जप्ती पंचानामा प्रपी 01 के साक्षी हैं, पक्षद्रोही हो गए हैं। उक्त साक्षीगण ने स्पष्ट रूप से इस बात से इंकार किया है कि उनके समक्ष कोई जप्ती की गई है। उपरोक्त साक्षीगण ने स्पष्ट रूप से अपने कथनों में बताया है कि उक्त घटना दिनांक को उनके समक्ष आरोपीगण से कोई वस्तु जप्त नहीं की गई। इस प्रकार प्रकरण में जप्ती पंचनामा प्रपी 01 की कार्यवाही अभियोजन के साक्षीगण से प्रमाणित नहीं होती। अ.सा. ०३ एवं अ.सा. ०४ के अनुसार वे घटनास्थल पर पहुंचे थे जहां पर आरोपी के आधिपत्य से एक छुरी जप्त की गई थी। उल्लेखनीय है कि अ.सा. 03 ने इस बात को स्वीकार किया है कि जप्ती पत्रक के दोनों साक्षी उनके साथ मोटरसाईकिल से गए थे, किंतु उक्त साक्षीगण पक्षद्रोही हो गए हैं तथा उनके द्वारा अभियोजन के मामले का समर्थन नहीं किया गया है। यहां पर यह भी उल्लेखनीय है कि अभियोजन द्वारा प्रकरण में जप्तश्र्दा छ्री अभिलेख पर साक्ष्य के दौरान प्रस्तुत नहीं की गई है। इस प्रकार प्रकरण में मात्र अ.सा. 03 एवं अ.सा. 04 की साक्ष्य ही अभिलेख पर है जिनके द्वारा अभियोजन के पक्ष में कथन किया गया है, किंतू अ.सा. 03 एवं अ.सा. 04 पुलिस के साक्षी हैं। उपरोक्त साक्षीगण की साक्ष्य का अनुसमर्थन किसी अन्य स्वतंत्र साक्षी की साक्ष्य से नहीं हो रहा है। यहां पर यह भी उल्लेखनीय है कि अ.सा. 03 ने अपने कथन में बताया है कि घटनास्थल आम रोड से सभी लोग निकलते हैं, किंतू वहां के किसी भी व्यक्ति को उनके द्वारा साक्षी नहीं बनाया गया है। ऐसा क्यों नहीं किया गया, इस संबंध में अभियोजन कोई भी कारण दर्शित करने में असमर्थ रहा है।

10— अभियोजन द्वारा प्रकरण में जप्तशुदा छुरी विचारण के समय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया है और न ही साक्षीगण को प्रमाण में दिखाया गया है। इस संबंध में निम्न न्यायदृष्टांत स्टेट ऑफ एमपी विरुद्ध कृष्ण कुमार 1997 (1) एमपीडब्ल्यूएन 203 म0प्र0 अनुकरणीय है। उक्त न्यायदृष्टांत में यह अभिमत दिया गया है कि वस्तुओं पर प्रदर्श अंकित किए बिना विधि की दृष्टि में कोई विधिक जप्ती होना नहीं कहा जा सकता। एक अन्य न्यायादृष्टांत मुनिसिंह विरुद्ध बिहार राज्य 2006 कि. लॉ. जनरल 88 अनुकरणीय है। उक्त न्यायादृष्टांत में यह अभिमत दिया गया है कि साक्षीगण के समक्ष उनके परीक्षण के दौरान जप्त आयुधों को नहीं रखा गया, ऐसी स्थिति में कार्यवाही उचित नहीं मानी जा सकती। एक अन्य न्यायदृष्टांत साहबसिंह वि0 पंजाब राज्य, 1996 (6) सुप्रीम 774 भी अनुकरणीय है। उक्त न्यायदृष्टांत में यह अभिमत दिया गया है कि यदि ऐसा पाया जाता है कि संबंधित पुलिस अधिकारीगण ने क्षेत्र के व्यक्तियों को जो कि बरामदगी के साक्षी के रूप में स्वीकृत तौर पर उपलब्ध थे यदि शामिल न किया गया हो तो ऐसी दशा में पुलिस अधिकारी की साक्ष्य का वजन प्रभावित होगा।

11— उपरोक्त समग्र विवेचन एवं न्यायादृष्टांतों के प्रकाश में यह निष्कर्ष दिया जाता है कि अभियोजन अपना मामला प्रमाणित करने में असफल रहा है। परिणामतः आरोपी को धारा 25(1–बी)(बी) / 27 आयुध अधिनियम के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।

12— आरोपी के जमानत मुचलके भारमुक्त किए जाते हैं।

13— प्रकरण में जप्तशुदा लोहे की छुरी मूल्यहीन होने से अपीलावधि पश्चात् नष्ट की जावे। अपील होने की दशा में माननीय अपील न्यायालय के निर्देशों का पालन हो।

14— आरोपी अनुसंधान एवं विचारण के दौरान न्यायिक अभिरक्षा संबंधी धारा 428 द. प्र.स. का प्रमाण पत्र बनाया जावे।

निर्णय पृथक से टंकित कर विधिवत हस्ताक्षरित व दिनांकित किया गया। मेरे बोलने पर टंकित किया गया।

(जफर इकबाल) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी चंदेरी जिला अशोकनगर (म.प्र.) (जफर इकबाल) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी चंदेरी जिला अशोकनगर (म.प्र.)